

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रागदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक शीडर/2023/7294

दिनांक - 19.12.2023

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हरखाराम पुत्र सांगाराम 2 अणदूदेवी पत्नी मेहराराम जाति मेगवाल निवासी पूनडों की बस्ती उण्डखा 3 अक्कूदेवी पत्नी लूणाराम 4 उदाराम पुत्र जवाराराम 5 केकूदेवी पत्नी सांगाराम 6 कूसटाराम 7 खंगाराम पिसरान रायचन्द्रराम 8 खेराजाराम पुत्र सांगाराम 9 खीमाराम 10 खोखाराम पिसरान जवाराराम 11 जामूदेवी पत्नी हाकमाराम 12 धीराराम पुत्र जवाराराम 13 नाथूराम पुत्र लूणाराम 14 प्रकाशचन्द्र पुत्र हाकमाराम 15 भीखाराम परगार पुत्र जेसलाराम 16 मगाराम पुत्र रायचन्द्रराम निवासी पूनडों की बस्ती 17 गीना पुत्री मेहराराम पत्नी मगलाराम निवासी दरुड़ा 18 मोतीलाल पुत्र लूणाराम 19 मोहन पुत्र रायचन्द्रराम 20 रणजीता पुत्र जानाराम 21 वीराराम पुत्र हाकमाराम जाति मेगवाल निवासी पूनडों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


1 पांचाराम 2 आम्याराम पिसरान अजवाराम 3 पीथाराम पुत्र शेराराम 4 उदाराम 5 गोरखाराम 6 मगाराम 7 गेमराराम पिसरान दीपाराम 8 मगाराम पुत्र पोककराम 9 गिरधारीराम पुत्र ताजाराम 10 कलाराम पुत्र हंजारीराम 11 बाबूराम पुत्र नायकाराम 12 लूणाराम 13 उदाराम पिसरान गोरधनराम जाति मेगवाल निवासी पूनडों की बस्ती उण्डखा 14 बलवन्तसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रडवा 15 कोजराजसिंह पुत्र मोहनसिंह 16 शंकरसिंह पुत्र भाणसिंह 17 अर्जुनसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रडवा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 252/2023

दिनांक- 27.10.2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूनडों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 06 रकबा 13.0228 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 19.12.2023

क्रमांक :- शीडर/2023/7295-98

प्रतिलिपि निम्नांकित वरिष्ठ नार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हरखाराम पुत्र सांगाराम व मेहरा जाति मेगवाल निवासी पूनडों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पांचाराम पुत्र अजवाराम व गौराह जाति मेगवाल निवासी पूनडों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर